लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1590
उत्तर देने की तारीखः 11.02.2020

निषाद समुदाय का कल्याण

1590. श्री प्रवीन कुमार निषादः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय 'निषाद' समुदाय है;
(ख) यदि हां, तो क्या देश में केवट, मल्लाह, धीवर, कश्यप, बाथम, बिंद, रायकवार, कुम्हार, तुरैहा, मांझी, तुरहा और 578 उप-जातियों जैसी निषाद समुदाय की कई उपजातियां हैं;
(ग) क्या ये समुदाय देश में सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं; और
(घ) सरकार द्वारा इन समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : स्वतंत्रता के पश्चात नीतिगत मामले के रूप में जनसंख्या की गणना करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त अन्य जातियों और समुदायों की गणना करनी बंद कर दी गई है। अतः, यह नहीं बताया जा सकता है कि 'निषाद' समुदाय उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है या नहीं।

(ख) और (ग) : इस विभाग के पास 'निषाद' समुदाय की उप-जातियों के बारे में और क्या इन समुदायों को देश में सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है, के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) : सरकार अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न शैक्षणिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास संबंधी स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। जिन जातियों/समुदायों को अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है, उनसे संबंधित व्यक्ति इन स्कीमों का लाभ उठाने के पात्र हैं। 'निषाद' समुदाय को उत्तर प्रदेश राज्य की एससी और/अथवा ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, 'केवट', 'मल्लाह', 'धीवर', 'बिंद' और 'कुम्हार' जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है।

*****